

- आदेश -

दुरस्ती  
वस्तुतः  
पार्थना  
इन्द्राज

उपरोक्त प्राथियों ने मेरे सम्मक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं उक्त करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती कीय वृत्ति रुपार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर समाप्ति से किये जाने हेतु प्राथियों ने तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित की किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं. जयते	पूर्व इन्द्राज			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा
1	2	3	4	5	6	7
	रामूदास पुत्र मूलदास	44	0.02	रामेश्वर लाल पुत्र मूलदास	44	0.02
	कौम साद सा. देह	45	0.04	कौम साद सा. देह शेख खाता	45	0.04
	शेष खाता कदस्तुर	योग 2	0.06	कदस्तुर	योग 2	0.06
		161	29.18		161	29.18
		164	26.18		164	26.18
		162	0.05		162	0.05
		163	0.01		163	0.01
		145	26.00		145	26.00
		46	14.14		46	14.14

क्रमांक :

552/20

प्रतिलिपि का नार्थ :-

8/9/20

1. तहसीलदार डीडवाना।

उपखण्ड अधिकारी  
डीडवाना

दिनांक :

उपखण्ड अधिकारी  
डीडवाना

दिनांक :

क्रमांक :

प्रतिलिपि का नार्थ :-

1. तहसीलदार हल्का ..... को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का सम्मन नहीं हो तो निर्णयानुसार ..... को सुनिश्चित करें।

तहसीलदार डीडवाना